न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 100/2019

बैंक ऑफ बडौदा
शाखा कार्यालयः-सुरसुरा, अजमेर
जिला-अजमेर (राज.)-305001

.............**प्रार्थी**

बनाम

(1). मैसर्स प्रजापत मार्बल इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर्स श्री मदनलाल प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत

(2). श्री ताराचन्द प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत

(अ) खसरा नं. 738/7, सलेमाबाद रोड, रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज.)

(ब) जोशियों का जाव, मकराना, तहसील मकराना जिला नागौर (राज.)

(स) आनन्द नगर, मकराना, तहसील मकराना, जिला नागौर (राज.)

.........**अप्रार्थीगण (ऋणी)**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री मनदीप सिंह चौहान अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 21.08.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स प्रजापत मार्बल इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर्स श्री मदनलाल प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत एवं श्री ताराचन्द प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत निवासीः- खसरा नं. 738/7, सलेमाबाद रोड, रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर(राजस्थान) को दिनांक 25.02.2013 को क्रमशः रू 12,30,000/-(अक्षरे रूपये बारह लाख तीस हजार मात्र) व 7,00,000/-(अक्षरे रूपये सात लाख मात्र) कुल ऋण 19,30,000/-(अक्षरे रूपये उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर सलेमाबाद रोड, रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर के खसरा नं. 738/7 पर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एवं बिल्डिंग (क्षैत्रफल 841.74 वर्गमीटर), जो श्री मदनलाल प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत, श्री ताराचन्द प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत के नाम से है, जिसके पूर्व में-सलेमाबाद रूपनगढ रोड, पश्चिम-मनभरी देवी की जमीन, उत्तर -मनभरी देवी की जमीन, दक्षिण -खसरा नं. 738/8, है को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.12.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 07.01.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस टर्म लोन ऋण खाते में रूपये 8,329.12/-(अक्षरे रूपये आठ हजार तीन सौ उनतीस एवं बारह पैसे मात्र) व केश केडिट ऋण खाते में 7,00,749.37/ - दोनो खातों

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

में कुल 7,09,078.49/–(अक्षरे रूपये सात लाख नौ हजार अठहत्तर एवं उनचास पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति सलेमाबाद रोड, रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर के खसरा नं. 738/7 पर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एवं बिल्डिंग (क्षैत्रफल 841.74 वर्गमीटर), जो श्री मदनलाल प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत, श्री ताराचन्द प्रजापत पुत्र श्री नाथूराम प्रजापत के नाम से है, जिसके पूर्व में–सलेमाबाद रूपनगढ रोड, पश्चिम–मनभरी देवी की जमीन, उत्तर –मनभरी देवी की जमीन, दक्षिण –खसरा नं. 738/8, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner